कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248005

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0(टैक्नी0)/02/2020–21/465 दिनांक 13 अगस्त, 2021

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन

टेक्नीशियन संवर्ग परीक्षा–2021

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं:–

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	13 अगस्त 2021
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	–	16 अगस्त 2021 (सोमवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	–	15 सितम्बर 2021, बुधवार (सायंः 05:00 बजे तक)
आवेदन शुल्क **Net Banking /Debit Card/ Credit Card** द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	15 सितम्बर 2021, बुधवार (सायंः 05:00 बजे तक)

01. रिक्तियों का विवरणः उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत टेक्नीशियन संवर्ग (लैब टेक्नीशियन, ओ0टी टेक्नीशियन, सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन, रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथैरेपिस्ट, ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन) के रिक्त 306 पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	पद कोड	पद का नाम	वेतनमान	सामान्य/अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	कुल
i.	101	लैब टेक्नीशियन	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	49	22	05	16	12	104
ii.	102	ओ0टी0 टेक्नीशियन	₹29200–92300 (लेवल–5)	31	14	02	09	06	62
iii.	103	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन	₹25500–81100 (लेवल–4)	33	13	02	09	06	63
iv.	104	रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन	₹ 44900–142400 (लेवल–7)	01	02	00	01	01	05
v.	105	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	03	01	00	00	00	04
vi.	106	ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	01	01	00	00	00	02

vii.	107	डेण्टल टेक्नीशियन	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	09	04	00	02	01	16
viii.	108	फिजीयोथेरेपिस्ट	₹ 35400–112400 (लेवल–6)	03	02	00	01	00	06
ix.	109	ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट	₹ 35400–112400 (लेवल–6)	05	02	00	01	00	08
x.	110	रिफ्रेक्शनिष्ट	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	01	01	00	00	00	02
xi.	111	रेडियोंग्राफिक्स टेक्नीशियन	₹ 29200–92300 (लेवल–5)	16	08	01	05	04	34

02. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है–

i. लैब टेक्नीशियन :– पद कोड 101

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	49	14	02	00	02	02	29
2.	अनुसूचित जाति	22	06	01	00	00	01	14
3.	अनुसूचित जनजाति	05	01	00	00	00	00	04
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	16	04	00	00	00	00	12
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	03	00	00	00	00	09
योग		104	28	03	00	02	03	68

ii. ओ0 टी0 टेक्नीशियन :– पद कोड 102

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	31	09	01	00	01	01	19
2.	अनुसूचित जाति	14	04	00	00	00	00	10
3.	अनुसूचित जनजाति	02	00	00	00	00	00	02
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	02	00	00	00	00	07
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	01	00	00	00	00	05
योग		62	16	01	00	01	01	43

iii. सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन – पद कोड 103

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य / अनारक्षित	33	09	01	00	01	01	21
2.	अनुसूचित जाति	13	03	00	00	00	00	10
3.	अनुसूचित जन जाति	02	00	00	00	00	00	02
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	02	00	00	00	00	07
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	01	00	00	00	00	05
योग		63	15	01	00	01	01	45

iv. रेडियोथिरैपी टेक्नीशियनः– पद कोड 104

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य / अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जाति	02	00	00	00	00	00	02
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
योग		05	00	00	00	00	00	05

v. ई0सी0जी0 टेक्नीशियनः पद कोड 105

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य / अनारक्षित	03	00	00	00	00	00	03
2.	अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	01
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
योग		04	00	00	00	00	00	04

vi. ऑडियोमैट्री टेक्नीशियनः– पद कोड 106

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	01
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
योग		02	00	00	00	00	00	02

vii. डेण्टल टेक्नीशियनः– पद कोड 107

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	09	02	00	00	00	00	07
2.	अनुसूचित जाति	04	01	00	00	00	00	03
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	00	00	00	02
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
योग		16	03	00	00	00	00	13

viii. फिजीयोथैरेपिस्टः– पद कोड 108

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	03	00	00	00	00	00	03
2.	अनुसूचित जाति	02	00	00	00	00	00	02
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
योग		06	00	00	00	00	00	06

ix. ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट :– पद कोड 109

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	05	01	00	00	00	00	04
2.	अनुसूचित जाति	02	00	00	00	00	00	02
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
योग		08	01	00	00	00	00	07

x. रिफ्रेक्शनिष्टः– पद कोड 110

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	01
3.	अनुसूचित जन जाति	00	00	00	00	00	00	00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
योग		02	00	00	00	00	00	02

xi. रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन– पद कोड 111

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व0सं0से0 आश्रित 02%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	सामान्य/अनारक्षित	16	04	00	00	00	00	12
2.	अनुसूचित जाति	08	02	00	00	00	00	06
3.	अनुसूचित जन जाति	01	00	00	00	00	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	01	00	00	00	00	04
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01	00	00	00	00	03
योग		34	08	00	00	00	00	26

नोटः–रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

03. वेतनमानः–

- लैब टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- ओ0टी टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन :– ₹ 25500–₹81100 (लेवल–4)
- रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन :– ₹ 44900–₹142400 (लेवल–7)
- ई0सी0जी0 टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- डेण्टल टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- फिजीयोथैरेपिस्ट :– ₹ 35400–₹112400 (लेवल–6)
- ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट :– ₹ 35400–₹112400 (लेवल–6)
- रिफ्रेक्शनिष्ट :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)
- रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन :– ₹ 29200 –₹92300 (लेवल–5)

04. पद का स्वरूपः–अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

05. शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताः–

(A) अनिवार्य अर्हताः–

क्र0 सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1.	लैब टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टैक्नोलॉजी में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
2.	ओ0टी0 टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओ0टी0 मे ंडिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
3.	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

4.	रेडियोथिरैपी टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
5.	ई0सी0जी0 टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ई0सी0जी0 टेक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
6.	ऑडियोमैट्री टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
7.	डेण्टल टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से डेण्टल टेक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
8.	फिजियोथैरेपिस्टः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से फिजीयोथैरेपी में डिग्री (BPT) की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

9.	ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्टः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से आक्युफिजीयोथेरेपी मेंडिग्री (BOT) की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
10.	रिफ्रेक्शनिष्टः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से रिफ्रेक्शनिष्ट/ऑप्टोमैट्री में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
11.	रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियनः	1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउसिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोग्राफिक्स में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो। 3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। 4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

(**B**) अधिमानी अर्हताएं:—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

07. आयु :— आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तुक उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विर्निदिष्ट की गई हो।

परन्तुक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 191/**XXX(2)**/2021—30(10)2019, दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021—22 में संगत सेवा नियमवाली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

08. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं

इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदो पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

09. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र–</u> जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. <u>आरक्षणः–</u>

I. ऊर्ध्व आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

II. क्षैतिज आरक्षण– उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

III. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

IV. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनाकं 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा।

V. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता एवं माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा

इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

VI. दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यागंता की विभिन्न श्रेणियों मे से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यागंता होना अनिवार्य है। जिस–जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, दिव्यांग (पी0एच0), OL (One Leg Affected) के अनुसार टेक्नीशियन संवर्ग के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

VII. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

VIII. अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हे उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

IX. ''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रुप में सेवा की हो और जो– (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् एंसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरुप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

<u>नोटः</u> पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रुप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

X. ''स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

XI. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।

XII. उत्तराखण्ड महिला का आरक्षण में उसी महिला अभ्यर्थी को सम्मलित किया जायेगा, जिसने उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तथा जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में सम्बन्धित श्रेणी की उपश्रेणी में 'उत्तराखण्ड महिला' का अंकन किया गया हो।

XIII. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

XIV. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

XV. उपर्युक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी की गणना आरक्षित श्रेणी के रूप में नहीं की जायेगी।

11. राष्ट्रीयताः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक होः या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया होः या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानियो (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार के पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी आवश्यक रूप से अपेक्षा की जायेगी, कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंः

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणीः–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. चरित्रः–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति– प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणीः–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थताः–

01. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ नहीं है और किसी एसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

02. सेवा में अन्य पदो के मानको में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड– दो, भाग– तीन के अध्याय– तीन में दिये गये मूल नियम– 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नंही किया जायेगा,

15. चयन प्रक्रियाः–

1. चयन के लिये लिखित परीक्षा 100 अंकों की तकनीकी विषय से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। (पदवार विस्तृत तकनीकी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट ''क'' का अवलोकन करें।)
2. लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ ट्रिप्लीकेट में होगी तथा ट्रिप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
4. लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org पर प्रदर्शित की जायेगी।

लिखित परीक्षा हेतु दिशा निर्देश–

I. सामान्य/अनारक्षित, ओ0बी0सी0 तथा ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

II. लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

III. प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में प्रश्न और विकल्प दिये होंगे।

IV. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

V. लिखित परीक्षा के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल एवं द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रुप से जमा करेंगे।

VI. गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, जो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(घ) ओ.एम.आर. शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हे उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नम्बर अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मुल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

16. <u>ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–</u>

1. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर जाएं तथा **Apply Now** पर क्लिक करें।
2. ऑनलाईन आवेदन हेतु टेक्नीशियन सवर्ग परीक्षा– 2021 के सम्मुख **"Click Here"** पर जाएं एवं **Continue** करें।
3. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 16 अगस्त 2021 से **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध रहेगा।
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख अपलोड करने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर 2021 बुधवार, (सांय 05:00 बजे तक) है।
5. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।
6. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. ऑफलाईन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
9. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
10. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।
11. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।
12. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
13. आवेदन पत्र सही भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
14. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा ही जमा करा सकते है।
15. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

16.अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

17. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. Step 1: Registratiom
2. Step 2: Application Submission
3. Step 3: Fees Payment through My Application Section

➢ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरणः–

1. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।
3. Registration करते समय जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उस पद का चयन करें तथा पद कोड अंकित करें।
4. आवेदकों को Registration प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सुरक्षित (Save) करना होगा।
5. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
    - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
    - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साईज (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
6. 'Registration Number' के साथ लॉग–इन होने के पश्चात् आवेदक ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते है।
7. Registration Form आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा।
8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।
9. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित प्रारुप पर अपने शैक्षिक, स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र (यदि हो) अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
10. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
11. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
12. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकताः–
    - नेट बैंकिंग
    - डेबिट कार्ड
    - क्रेडिट कार्ड

18. शुल्कः–ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन

(Net Banking/Debit Card/Credit Card) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹300/–मात्र
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹150/–मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹300/–मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹150/–मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹150/–मात्र
06	उत्तराखण्ड दिव्यांग	₹150/–मात्र

नोट:–

a. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप–श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

b. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

c. परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

19. अनुभव प्रमाण पत्र– अनुभव प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानो का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में संलग्न परिशिष्ट–''ख'' के प्रारुप में ही स्वीकार्य होगा, अन्य किसी प्रारुप में प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

शासन के पत्र संख्या 577/XXVIII(5)/2021–08(सामान्य)/2019 दिनांक 24 जून 2021 द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थानों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि ''राज्य में संचालित होने वाले चिकित्सालयों का पंजीकरण नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अधीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अधीन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण में किया जाता है तथा राज्य के मेडिकल कॉलेजों का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र के आधार पर एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 द्वारा किया जाता है। अतः जिन संस्थानों का पंजीकरण उक्त के अधीन हो उन्हे मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान माना जा सकता है।

वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक विभाग/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी संस्थान के विभागाध्यक्ष/रजिस्ट्रार/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा।

20. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. <u>अति महत्त्वपूर्ण निर्देश</u>–

a. अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

b. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

c. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।

d. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर ले ना चाहिए।

e. परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रुप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

f. ऑनलाईन मूल आवेदन–पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

g. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति–सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

h. हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

i. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नही पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

j. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या

तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।

k. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

l. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

m. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

n. अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित– परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा ओर न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

o. परीक्षा भवन में आचरणः– कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (ओ0एम0आर0) की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा एवं उनके विरुद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

p. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही– अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

q. आवेदित पद पर अन्तिम रुप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐंसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

r. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा–

a. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रुप से परितोषाण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
b. परीक्षा में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, परीक्षा देन वालों को परीक्षा का बहिष्कार करनें के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
c. परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
d. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसेः–

I. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है,जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

II. उसे स्थायी रुप से अथवा एक विशेष अवधि के लिएः–

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,

III. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक किः–

(1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

22. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नही है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
23. लिखित परीक्षा माह अक्टूबर–नवम्बर 2021 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।
24. परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमाकं सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

परिशिष्ट ''क''

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत टेक्नीशियन संवर्ग (लैब टेक्नीशियन, ओ0टी टेक्नीशियन, सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथैरेपिस्ट, ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट एवं रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन) का तकनीकी विषय पाठ्यक्रम

क्र0 सं0	पदकोड	पदनाम	तकनीकी विषय पाठ्यक्रम
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	**101**	लैब टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, • Clinical Biochemistry, Clinical Microbiology & immunology, • Clinical Pathology • Advance Diagnostic Techniques • Clinical Hematology, Serology, • Histopathology Cytology techniques • Blood Banking(Practical Blood Transfusion) • Safety and First Aid • Bio medical waste management
2.	**102**	ओ0टी टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology, Pathology, Pharmacology of important drugs used in OT • Anesthesia (Methods procedure & patient management) • Surgical Instruments and surgical procedure • Safety and First Aid • Bio medical waste management
3.	**103**	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology • Store management & ,Inventory control • Sterilization Principal, technique & instrumentation, Disinfection • Introduction to CSSD Services, CSSD Planning and Infection Control, Safety in CSSD • Surgical Instruments and Procedures (linen Packaging Materials Dressing Material) • Quality Assurance in CSSD • Safety and First Aid • Bio medical waste management
4.	**104**	रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology • Radiotherapy Physics , radioactivity, X ray production • Radiography techniques, CT scan, MRI, PET, Triple phase CT • Patient preparation, patient positioning and Radiation Hazards • Quality assurance in radiotherapy, regulatory requirement. • Instrumentation Study, Instrument Measurement & Critical Care Equipment. • Safety and First Aid • Bio medical waste management

5.	**105**	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Detailed anatomy and physiology of cardio vascular system, cardiac cycle, Electrophysiology of the heart • General Biochemistry, Microbiology & Pathology, Pharmacology of drugs used in Cardio vascular diseases • Introduction to ECG / terminology • Basic principles and techniques and instrumentation of ECG • Drugs which alter ECG's • Holter, treadmill stress test, thallium stress test • Safety and First Aid • Bio medical waste management
6.	**106**	ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology • Anatomy of human ear, Auditory Pathway, Basic Acoustics and Electronics • Audiology, Basic Medical Sciences Related To Speech & Hearing • Hearing test , Turning fork, pure tone audiometry (masking), specialized hearing test, BERA, Cochlear implants Hearing loss, assessment of hearing handicap. • Community Based hearing Rehabilitation. • Physiology of speech, Speech Therapy, • National program related to prevention of hearing loss • Safety and First Aid • Bio medical waste management
7.	**107**	डेण्टल टेक्नीशियन	• Applied Oral Anatomy & Physiology, Oral Microbiology, Oral Radiology & Oral Pathology, Pharmacology of important drugs used in Dentistry • Pre-clinical procedures of Dental Settings • Anesthesia (methods procedure & patient management) • Dental structures Dental materials, Moulds and fixtures • Intra-Oral Preventive & Restorative Dentistry • Endodontic , Prosthodontics, Periodontal, Orthodontic Procedures • Infection control and prevention • Disinfection, Cleaning and preventive maintenance of Dental equipment, materials and implants • Safety and First Aid • Bio medical waste management
8.	**108**	फिजीयोथैरेपिस्ट	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology, Pharmacology • Safety and First Aid • Bio medical waste management • Clinical Psychology, General medicine, General surgery, Clinical neurology Orthopedics & Rheumatology • Orientation to Physiotherapy Biomechanics & kinesiology, Exercise therapy, Electrotherapy • Physiotherapy in Orthopaedic, Neurological, Cardio Respiratory, General Conditions & Sports

9.	**109**	ऑक्यूपैशनल थैरेपिस्ट	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology • Pharmacology • Clinical Psychology, Psychiatry • General medicine, General surgery, Clinical neurology, Orthopedics & Rheumatology • Occupational therapy in neurology, mental health rehabilitation & pediatrics • Safety and First Aid • Bio medical waste management
10.	**110**	रिफ्रेक्शनिष्ट	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology & Pharmacology • Ocular anatomy, Pathology, Ocular disease, • General Optics & refraction, Physiological and Visual Optics • Ophthalmic Instruments, Ophthalmoscope, Retinoscopy, Keratometer, Lensometer., Fundamentals of Contact Lens • Contact Lens Care and Complications • Clinical Optometry • Accommodation and Convergence & Subsidiary effects of correcting Lenses & Lenses & Magnifying Devices • Safety and First Aid • Bio medical waste management
11.	**111**	रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन	• General Anatomy & Physiology, Biochemistry, Microbiology & Pathology • Radiological Physics , radioactivity, X ray production • Radiography techniques, CT scan, MRI, PET, Triple phase CT • Patient preparation, patient positioning and Radiation Hazards • Safety and First Aid • Bio medical waste management

परिशिष्ट – ''ख''

संस्थान के लैटर हैड पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवरण सहित भरकर जारी किया जायेगा।

पत्र संख्याः– दिनांकः–

–ःअनुभव प्रमाण पत्रः–

मैं डा0/श्री/श्रीमती/कु0..
(पदनाम, संस्थान का नाम एवं पता जनपद सहित)..
प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कु0..पुत्र/पुत्री..
..................................इस संस्थान में ....के पद पर दिनांक ....से दिनांक ....
तक कार्यरत हैं/था/थी, जिसकी कुल अवधि............................ वर्ष .... माह एवं .... दिन है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू हो केवल उसी का चयन तथा उल्लेख करें।)

- यह संस्थान एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज है। जिसे एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 ने अपने पत्र संख्या .... दिनांक .... द्वारा मान्यता दी है।
- यह संस्थान राज्य में लागू नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अधीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अधीन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका विवरण निम्नवत हैः–
  कार्यालय का नाम जहाँ पंजीकृत हैः...
  संस्थान की पंजीकरण संख्या–... दिनांक...

हस्ताक्षरः–

अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित

(स्पष्ट पठनीय अक्षरों में)